ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की दिनांक 11.11.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की 10वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित :

1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री योगेश मोहन जी गुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 वी0डी0 मिश्रा	सदस्य
4.	श्री अजमल हुसैन ज़ैदी	सदस्य
5	श्री टी0आर0 यादव, कुल सचिव/वित्त अधिकारी	सचिव

कार्यपरिषद की बैठक में माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन, सदस्य (न्यायिक) तथा प्रो0 ज़ाहिद हुसैन ख़ान (सदस्य) अन्य व्यवस्तताओं के कारण सम्मिलित नहीं हो पाये।

कार्यवाही

मद संख्या–1

दिनांक 28.05.2017 को सम्पंन्न हुई कार्यपरिषद् की 9वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या–2

फ़ारसी भाषा के उत्थान एवं उन्नयन हेतु ईरान के किसी विख्यात एवं फ़ारसी भाषा हेतु कार्य करने वाले विश्वविद्यालय से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या—3

अरबी भाषा के उत्थान एवं उन्नयन हेतु अरब देश के किसी प्रतिष्ठित एवं मुख्यतः अरबी भाषा पर कार्य करने वाले विश्वविद्यालय से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या—4

विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 दिनांक 01 जून 2009 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 दिनांक 05 मई 2016 को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव/संकल्प प्रारित किया तथा विहित प्रक्रिया अनुसार इसे शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की अनुमति प्रदान की।

मद संख्या—5

विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों के स्थायीकरण पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या—6

विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत् शिक्षणेत्तर कर्मचारी श्री शबीह हैदर के स्थायीकरण पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या–7

विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय परिनियमावली–2015 के बिन्दु संख्या–15.09(1) की व्यवस्थानुसार ज्येष्ठता समिति के सदस्यों के नामांकन हेतु कुलाधिपति कार्यालय को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–8

दिनांक 28.05.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की 9वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या–9

कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28.05.2017 के मद संख्या–[illegible] से लिये गये निर्णय के अनुसार प्रो0 वी0डी0 मिश्रा सदस्य कार्यपरिषद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय–

कार्यपरिषद के सम्मुख प्रो0 वी0डी0 मिश्रा सदस्य कार्यपरिषद की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा प्रेषित सीलबन्द जांच आख्या प्रस्तुत की गई। प्रो0 वी0डी0 मिश्रा द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच आख्या समयानुसार तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति को प्रेषित करने पर संतोष व्यक्त किया गया और जांच रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया गया। परन्तु जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त उसे समय से कार्यपरिषद की बैठक बुलाकर प्रस्तुत न किये जाने पर असंतोष

185

व्यक्त किया गया और इसे आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया।

कार्यपरिषद के संज्ञान में यह भी आया कि प्रो0 वी0डी0 मिश्रा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा प्रेषित सीलबन्द जांच आख्या तत्कालीन कार्यकारी कुलपति द्वारा कार्यपरिषद की बैठक से पूर्व खोली गई थी। तत्समय कुलपति कार्यालय से सम्बद्ध कम्प्यूटर आपरेटर श्री मो0 शाहिद द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित रूप से बयान दे कर इसकी पुष्टि भी की गई है। कार्यपरिषद ने इस प्रकार जांच आख्या खोले जाने पर अपना असंतोष व्यक्त किया तथा इस कृत्य की भर्त्सना की। कार्यपरिषद द्वारा जांच आख्या को आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया।

मद संख्या—10

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार।

मद संख्या—10.1

विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 की बैलेंस शीट का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 की बैलेंस शीट का अवलोकन किया तथा उक्त वर्षों की बैलेंस शीट्स पर संस्तुति प्रदान करते हुये शासन को भेजने पर सहमति प्रदान की।

मद संख्या—10.2

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018—19 के बजट अनुमानों का प्रस्तुतिकरण।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने कुलपति महोदय के अनुमोदनोप्रान्त शासन को भेजे गये वित्तीय वर्ष 2018—19 के बजट अनुमानों पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या—10.3

विश्वविद्यालय हेतु सृजित रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर के वेतनमान पुनरीक्षण।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने कुलपति महोदय द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन निर्धारण एवं कार्यरत चार एसोसिएट प्रोफेसर्स के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये अनुमोदन पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या—10.4

विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी, फारसी एवं संस्कृत लैंग्वेज लैब की स्थापना पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं के लैंग्वेज लैब की स्थापना पर अनुमोदन प्रदान किया तथा उपरोक्त भाषाओं की लैंगवेज लैब हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने की अनुमति प्रदान की। अग्रेत्तर संस्कृत विभाग के गठन एवं इस विषय के पठन पाठन हेतु मानकानुसार पदों के सृजन का प्रस्ताव भी कुलाधिपति कार्यालय/शासन को प्रेषित करने पर सहमति प्रदान की।

मद संख्या—10.5

विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग के पद पर कार्यरत् श्रीमती दोआ नक्वी के चिकित्सा अवकाश पर विचार।

निर्णय—

कार्यपरिषद ने श्रीमती दोआ नक्वी को अनुमन्य अर्द्धवेतन छुट्टी में से 30 अर्द्धवेतन छुट्टी (15 पूर्ण दिन) राशिकृत छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया।

मद संख्या—10.6

विश्वविद्यालय को विभिन्न स्रोतों के प्राप्त आय के निवेश के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय को विभिन्न स्रोतों के प्राप्त आय, जो विश्वविद्यालय के खाते में निष्क्रिय पड़ी हुई है तथा जिसकी तत्काल आवश्यकता नही है, को एफ0डी0 के रूप में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–10.7

विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह की सूचना प्राप्त करना।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह दिनांक 09.09.2017 के आयोजन की सूचना प्राप्त की। सामान्यतः द्विक्षान्त समारोह के आयोजन के पूर्व कार्यपरिषद की बैठक का आयोजन कर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दिये जाने वाले पदकों इत्यादि सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाते हैं जो इस दीक्षान्त के समय तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति/कुलसचिव द्वारा नहीं किया गया। कार्यपरिषद ने इसपर अपना रोष व्यक्त किया तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न किये जाने की अपेक्षा की।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(टी0आर0 यादव)
कुल सचिव/सचिव, कार्यपरिषद

(प्रो0 माहरूख मिर्जा)
कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद